DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, JANUARY 11, 2024 E OF NEWSPAPERS

NGT notice to MoD, DDA & forest dept over tree felling

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Taking cognisance of a **TOI** report, National Green Tribunal has issued a notice to secretary, ministry of defence; principal chief conservator of forests and vice-chairman, Delhi Development Authority, in a matter related to tree cutting while clearing 8.7 hectares on the Central Ridge.

TOI carried a report on December 18, 2023, that the forest department claimed that trees were cut in violation of Delhi Preservation of Tree Act 1994, Forest Conservation Act 1980 and Indian Forest Act 1927 and it had issued a notice to Quarter Master General, Army Headquarter.

"The news item discloses a substantial issue relating to compliance of the environmental norms," said the bench headed by Justice Prakash Shrivastava. The matter was heard on January 8, but the order's copy was shared on Wednesday.

TOI had earlier reported that the forest department in its notice said, "A report has been received regarding clearing of trees at Central Ridge, whereas it has been observed with periodical analysis of Google Earth images that an area of approximately 8.7 Ha has been cleared, the same is a violation of Forest Conservation Act 1980".

The notice had directed Quarter Master General, Army Headquarter, to furnish the report on why a complaint should not be filed against him or her for the offence. It added that on May 24, 1994, the Central Ridge has been declared a reserve forest under Section 4 of Indian Forest Act, 1927.

The Army had then said, "The Army is ascertaining the details of the violation highlighted in the area at Central Ridge by the department of forests and wildlife. Necessary action as per existing policy will be taken.

"Army follows an institutionalised mechanism of 'Watch and Ward' of all land parcels and safeguarding of trees. For tree felling in the construction zone of new projects undertaken by the Army, NOC is obtained from forest department and transplantation as well as compensatory afforestation is carried out strictly as per Tree Transplantation Policy 2020. For construction projects of the army currently in progress, the required approvals have been taken," the Army statement had said.

YOU READ IT HERE

Forest dept sends notice to Army HQ for 'tree offence'

TOI-TNN

New Delhi: The forest and wildlife department has sent a notice to the quarter master general of the army headquarters regarding an offence of tree cutting allegedly by the force while clearing an area of 8.78 hectares on the Central Ridge.

The forest department said the army's action violated the Delhi Preservation of Tree Act, 1994, Forest Conservation Act, 1980, and Indian Forest Act, 1927.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, JANUARY 11, 2024

Tulips to bloom at new Parliament complex during Budget session

New Delhi: After Rashtrapati Bhavan, blooming tulips will adorn the new Parliament House complex. "The tulip bulbs are expected to bloom when Parliament convenes for the Budget session. For the first time, tulips are being planted on the Parliament premises," said a Delhi Raj Niwas an official.

Following a conversation between Lok Sabha Speaker Om Birla and lieutenant governor VK Saxena, the New Delhi Municipal Council (NDMC) has made 3,000 tulip bulbs available to the Parliament secretariat.

NDMC has procured 3 lakh tulip bulbs, double than last year. While 2 lakh bulbs are being planted in the NDMC areas, the Delhi Development Authority (DDA) is using the rest to beautify prominent parks, besides the Yamuna floodplain such as Baansera and Asita. At least 500 bulbs will beautify the Raj Niwas lawn.

"NDMC had ordered yellow, white, orange, purple, blue, pink and red tulips, which are expected to bloom by January-end," said the official. NDMC and DDA will also plant varieties of seasonal flowers like petunia, poppy, dianthus, hollyhock and pansy that will start blooming in the spring," he added. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

सेंट्रल रिज में पेड़ काटने पर रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली:** नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के सेंट्रल रिज इलाके में आर्मी हेडक्वॉर्टर पर लगे कई पेड़ों की कटाई के आरोपों पर खुद से संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने इसे लेकर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा। साथ ही वन विभाग और डीडीए को भी नोटिस जारी किया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने रक्षा मंत्रालय के सचिव, दिल्ली के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, विभाग प्रमुख और डीडीए के उपाध्यक्ष (वीसी) को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

चार हफ्ते में देनी है रिपोर्ट, 6 मार्च को अगली सुनवाई

एनजीटी ने अखबारों में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। खबर में बताया गया था कि दिल्ली के वन विभाग ने सेंट्रल रिज के लगभग 8.78 हेक्टेयर इलाके में पेड़ों की कटाई के लिए सेना मुख्यालय के क्वॉर्टर मास्टर जनरल को पिछले साल 13 दिसंबर को नोटिस भेजा है। वन विभाग के मुताबिक, सेना का यह कदम दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट, 1994, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 के विरुद्ध है। गूगल अर्थ से ली गई तस्वीरों के नियमित विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि सेंट्रल रिज एरिए का लगभग 8.78 हेक्टेयर इलाका पूरी तरह से पेड़ विहीन कर दिया गया है।

ट्यूलिप के फूलों से भी गुलज़ार होगी नई संसद

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

नए संसद भवन में जल्द शुरू होने वाले पहले बजट सत्र के दौरान ट्यूलिप के रंग-बिरंगे खूबसूरत फूल सभी सांसदों, अधिकारियों और यहां आने वाले तमाम लोगों का स्वागत करते नजर आएंगे। इसके लिए नए संसद भवन परिसर में ट्यूलिप बल्ब लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बजट सत्र शुरू होने तक ये सभी बल्ब विकसित हो जाएंगे और उनमें ट्यूलिप के फूल खिलने लगेंगे। दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने यह पहल की है।

एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले लोकसभा अध्यक्ष और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मुलाकात हुई थी। उसी दौरान दोनों के बीच संसद भवन में ट्यूलिप लगाए जाने पर चर्चा हुई थी। एलजी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद सचिवालय को भी इस संबंध में निर्देश दिए थे। अब राष्ट्रपति भवन के बाद पहली बार नवनिर्मित संसद भवन परिसर में भी ट्यूलिप खिलेंगे। इसके लिए एलजी के निर्देश पर एनडीएमसी की ओर से संसद सचिवालय को 3000 ट्यूलिप बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। नए संसद भवन में चिह्नित की गई कुछ प्रमुख जगहों पर ये ट्यूलिप बल्ब लगाए जाएंगे। इन फूलों की देखरेख का जिम्मा भी एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी मिलकर संभालेगी।

बजट सत्र शुरू होने तक फूल खिलने लगेंगे

एनडीएमसी ने इस साल रिकॉर्ड तीन लाख ट्यूलिप बल्ब मंगाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने हैं। इनमें से दो लाख ट्यूलिप बल्बों को एनडीएमसी एरिया की विभिन्न जगहों पर लगाया जाएगा, जबकि एक लाख ट्यूलिप बल्बों का इस्तेमाल डीडीए और एमसीडी की ओर से किया जाएगा। डीडीए के बांसेरा और असिता पार्क के अलावा एमसीडी के पार्कों में और प्रमुख सड़कों के किनारे भी इस बार विंटर सीजन में ट्यूलिप के फूल खिले नजर आएंगे। खुद राजनिवास में भी 500 ट्यूलिप बल्ब लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में 65 जगहों पर इस बार ट्यूलिप लगाए जा रहे हैं।

ख्वाब घर वापसी का

विवेक शुक्ला

खंडहर होने पर भी तुगलकाबाद का किला गवाही देता है कि कभी कितना बुलंद रहा होगा। इसे सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। शायद ही कोई दिल्लीवाला होगा जिसने महरौली-बदरपुर रोड पर उजाड़ पड़े तुगलकाबाद किले को नहीं देखा होगा। 1321 में किला बनना शुरू हुआ और केवल चार सालों में बन गया था। इतने कम समय में तो DDA की कोई परियोजना भी पूरी नहीं होती! बहरहाल, सुल्तान की मौत के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह बना। वह सनकी था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी शिफ्ट करने का फैसला किया। जाहिर है, उसके फैसले से दिल्ली वालों को भारी कष्ट हुआ। फिर कुछ बरस बाद उसने वापस राजधानी दिल्ली बना ली। उसके दिल्ली से अपनी राजधानी शिफ्ट करने और फिर वापस आने की कवायद में दिल्ली वालों का बहुत जान-माल का नुकसान हुआ।

शायद इसलिए ही पुराने दिल्ली वाले कहते थे कि दिल्ली छोड़ने से पहले कई बार सोच लो। मोहम्मद तुगलक तो बादशाह था इसलिए लौट आया। पर सबके लिए ये मुमकिन नहीं होता। पिछले दिनों एक मशहूर रीयल एस्टेट फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे थे कि जो लोग दिल्ली की प्रॉपर्टी बेचकर एनसीआर या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, वे वापस दिल्ली नहीं आ पाते। कारण यह है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट लगातार बढ़ते रहते हैं।

बीते दस-पंद्रह सालों के दौरान हजारों दिल्ली वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम वगैरह में शिफ्ट कर गए हैं। वहां उन्हें दिल्ली के मुकाबले बेहतर और बड़े घर मिल गए हैं। पर दिल्ली में डीटीसी जैसी सुविधा बाकी शहरों में नहीं मिल पाती। दिल्ली में बिजली भी सस्ती है। घर से निकलते ही बस स्टैंड या मेट्रो का स्टेशन मिल जाता है। चार्टर्ड एकाउंटेंट राजन धवन दसेक साल पहले ईस्ट निजामुद्दीन से गुरुग्राम शिफ्ट कर गए थे। वहां बड़ा घर मिल गया। दिल्ली की प्रॉपर्टी बेचने पर कुछ पैसा बच भी गया। पर कुछ सालों के बाद वे महसूस करने लगे कि जिंदगी के पचास साल दिल्ली में बिताने के बाद यहां से बाहर जाना सही नहीं था। आखिर उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार तो दिल्ली में हैं। नए शहर में नए पड़ोसी मिले पर दिल्ली वाला प्यार-मोहब्बत का माहौल नहीं मिला। जीवन के संध्याकाल में नए दोस्त बनाना भी आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति कइयों की है। अब शाम के वक्त गुरुग्राम से दिल्ली जाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। सड़कों पर मिलने वाले हैवी ट्रैफिक और दूरी के कारण कई जरूरी फंक्शन मिस होने लगे हैं। दिल्ली के दोस्तों ने भी दूरियां बनानी शुरू कर दी है। उनकी नाराजगी तो अपनी जगह है ही। वे इसलिए नाराज हैं कि आप उनके बुलाने पर भी नहीं पहुंचते। दरअसल दिल्ली वापसी ना कर पाने की एक वजह यह भी है कि रिटायर होने के बाद इनकम तेजी से घटने लगती है। तो आप बताइए कि दिल्ली में घर वापसी कैसे हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 11 जनवरी 2024

नसीरपुर: रीडिवेलपमेंट के लिए कई विकल्प, पर कोई पॉलिसी ही नहीं

एक्सपर्ट के मुताबिक, काम आगे बढ़ाने के लिए सही पॉलिसी की दरकार

NBT कायापलट

घर वहीं, सूरत नई

डीडीए के बनाए काफी फ्लैट्स बेहद पुराने हो चुके हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इन फ्लैट्स की हालत को कैसे सुधारें? लोगों की जरूरतें भी इस दौरान बढ़ चुकी हैं। रीडिवेलपमेंट के इसी मुद्दे को उठाते हुए एनबीटी ने सीरीज शुरू की है। पहले दिन हमने नसीरपुर के खस्ताहाल फ्लैट्स की हालत बताई थी। अब हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि नसीरपुर के इन पुराने और कमजोर हो चुके फ्लैट्स को किस तरह से रीडिवेलप किया जा सकता है।

पहला विकल्प: डीडीए से लें मदद

नसीरपुर की आरडब्ल्यूए कंसलटेंट की मदद से अपना रीडिवेलपमेंट प्लान खुद तैयार कर सकती है। इसके बाद वह डीडीए के पास जाकर अप्लाई कर सकती है। एलजी चीके सक्सेना के पास भी आरडबल्यूए मिलकर रिडिवेलपमेंट का प्लान रख सकती है। एलजी इससे पहले सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं। इसलिए वह यहां भी RWA की मुश्किलों को समझते हुए विकल्प दिलवा सकते हैं। हालांकि यह विकल्प सिग्नेचर व्यू से थोड़ा अलग हो सकते हैं क्योंकि वहां मामला भ्रष्टाचार और क्वॉलिटी से जुड़ा था। इसमें लंबा समय लग सकता है। अब बिल्डिंग बाइलॉज भी एमसीडी के पास है। इसलिए प्लान का अप्रूवल करने के लिए एमसीडी को सबमिट करें।

दूसरा विकल्प: RWA खुद पहल करे

कंसलटेंट और बिल्डर की मदद से RWA रीडिवेलपमेंट के लिए खुद भी प्लान कर सकती है। रीडिवेलपमेंट प्लान लेने के बाद वह बिल्डरों से नेगोशिएट कर सकती है। डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर एके जैन ने बताया कि नसीरपुर में अभी 120 FAR है। रीडिवेलपमेंट में इसे 200 FAR तक मिल जाएगा। ऐसे में चार मंजिल के इन फ्लैट्स को छह मंजिल तक बनाया जा सकता है। पार्किंग, लिफ्ट आदि की सुविधा भी बढ़ जाएगी। FAR बढ़ने से जो अतिरिक्त फ्लैट्स बढ़ रहे हैं उनसे बिल्डर अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। या फिर वह बिल्डर को कुछ जगह कमर्शल यूज के लिए दे सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन भी मास्टर प्लान में किया गया है। यह प्रक्रिया भी जटिल है। क्योंकि इसमें सभी रेजिडेंट को एकजुट होना पड़ेगा।

तीसरा विकल्प: कोऑपरेटिव सोसायटी

आरडब्ल्यूए ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की तरह खुद को रजिस्टर्ड करवाकर भी रीडिवेलपमेंट करवा सकती है। इसके तहत वह अपनी जगह में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बना सकती है। इसके लिए 70 प्रतिशत रेजिडेंट की सहमति अनिवार्य है। यह प्रक्रिया थोड़ी आसान है। इसके लिए 3000 स्क्वायर मीटर की जगह होना लाजमी है। इसमें भी सोसायटी अतिरिक्त फ्लैट्स को बेच कर और लोगों से कुछ शेयर लेकर रीडिवेलपमेंट करवा सकती है। मास्टर प्लान 2021 में रीडिवेलपमेंट के तहत मौजूदा फ्लैट डेढ़ गुना तक बढ़ा होगा। एके जैन के अनुसार रीडिवेलपमेंट के तहत यह नियम है कि जो फ्लैट्स है उसे डेढ़ गुना बड़ा बनाया जाएगा। हालांकि लोग ने अपने फ्लैट्स पहले ही बढ़ा लिए होते हैं इसलिए वह इसके लिए मना कर देते हैं।

दिल्ली को चाहिए लाखों फ्लैट्स

34.5 लाख फ्लैट्स की जरूरत होगी दिल्ली को 2021-41 के बीच

17-20 लाख फ्लैट्स लैंड पूलिंग एरिया में बनेंगे इसमें से

17-20 लाख फ्लैट्स अन्य क्षेत्रों को रीडिवेलप कर बनाने की बात कही गई है

इसमें फेल होने पर अनधिकृत कॉलोनियों के साथ बिल्डर फ्लैट्स भी काफी अधिक बढ़ने की संभावना बनी हुई है

एक्सपर्ट्स की बात

'DDA को रीडिवेलपमेंट के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए'

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए.के. जैन के अनुसार रीडिवेलपमेंट के नियम तो है लेकिन डीडीए को इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि सिग्नेचर व्यू के तहत आइसोलेटेड पॉलिसी है। लेकिन यदि इस तरह की पॉलिसी बन जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी। इस पर काम होना जरूरी है। बजट में मदद के लिए इन-सीटू की तरह की पॉलिसी बनाई जा सकती है।

'मुंबई और गुजरात के मॉडल को अपनाया जाए'

आर्किटेक्ट व रिसर्चर सुमंत शर्मा ने बताया कि पुराने हो चुके फ्लैट्स की तरफ अगर अब ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में भयावह हादसे होने की संभावना है। दिल्ली की हाउसिंग जरूरतें इस समय भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि रीडिवेलपमेंट को लेकर महाराष्ट्र खास तौर पर मुंबई और गुजरात मॉडल को अपनाया जाए। वहां आरडब्ल्यूए सिर्फ कहती है कि उन्हें रीडिवेलपमेंट करवाना है और बिल्डर उनके पास अपने आप आ जाते हैं। वह सिर्फ नेगोशिएट करती है। इसके लिए बेहतर पॉलिसी बनी हुई है। अभी मास्टर प्लान 2021 रीडिवेलपमेंट की बात तो करता है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट के पास इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इसकी वजह से लोग कन्फ्यूज हैं। नसीरपुर जैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो यह और अधिक जर्जर होंगे। लोगों ने जब यहां घर लिए थे वह जवान थे, अब बुजुर्ग के लिए चौथी मंजिल पर जाना कितना मुश्किल होता होगा।

'दोनों तरह के डिवेलपमेंट की जरूरत'

प्रो सीमा खरबंदा, हेड, आर्किटेक्चर और प्लानिंग डिपार्टमेंट, NSUT का कहना है कि नसीरपुर में जो डीडीए की हाउसिंग सोसायटी है, उसके बनने के बाद लोगों ने उन फ्लैट्स में बहुत से बदलाव किए। बालकनी को कवर कर लिया, ड्रॉइंगरूम और लिविंग रूम के बीच की दीवार हटा दी या ड्रॉइंग रूम में बालकनी जोड़ ली या कोई बेडरूम निकाल लिया। इससे डेंसिटी बढ़ गई जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड आ गया। यहां रोड, सीवेज सिस्टम भी सही कंडीशन में नहीं है। कई घर तो बहुत खराब कंडीशन में है। हमने मुखर्जी नगर में देखा जहां डीडीए की एक हाउसिंग बहुत असुरक्षित हो गई है और इसमें रहने वालों को डीडीए ने दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑप्शन दिया है। ऐसी स्कीम अगर यहां भी आ जाए तो रीडिवेलपमेंट किया जा सकता है। जो बहुत खराब कंडीशन में है, उन्हें तोड़ने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं। बाकी में स्ट्रक्चरल बदलाव किए जा सकते हैं। यहां इन-सीटू डिवेलपमेंट की तर्ज पर काम किया जा सकता है यानी लोग जहां रह रहे हैं, वहीं रहने दिया जाए और थोड़ा-थोड़ा डिवेलपमेंट किया जाए।

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्ट्स की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सब्जेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2024 NEWSPAPERS

संसद के बजट सत्र में ट्यूलिप करेंगे आगंतुकों का स्वागत

- नए संसद भवन परिसर में लगाए गए हैं 3,000 ट्यूलिप बल्ब
- राष्ट्रपति भवन के बाद अब संसद परिसर में भी खिलेंगे ट्यूलिप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : इस बार संसद के बजट सत्र में ट्यूलिप के खिले हुए फूल भी सांसदों और आगंतुकों का स्वागत करेंगे। दरअसल, लोकसभा अध्यक्ष एवं एलजी वीके सक्सेना में चर्चा हुई, जिसमें उपराज्यपाल ने संसद के प्रांगण में ट्यूलिप लगाए जाने का अनुरोध किया था। इसी क्रम में एनडीएमसी ने संसद सचिवालय को 3,000 ट्यूलिप बल्ब उपलब्ध कराए हैं।

आगामी बजट सत्र के लिए जब संसद बुलाई जाएगी, तो ट्यूलिप के खिलने की उम्मीद है। राजनिवास अधिकारियों ने बताया कि एनडीएमसी ने इस वर्ष रिकार्ड तीन लाख ट्यूलिप बल्ब मंगाएं हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने हैं। इनमें से दो लाख ट्यूलिप बल्बों को एनडीएमसी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाएगा और अन्य एक लाख ट्यूलिप बल्बों का इस्तेमाल डीडीए बांसेरा- असिता के अलावा दिल्ली के विभिन्न पार्कों में लगाएगा। राजनिवास परिसर में भी पहली बार 500 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। ट्यूलिप के पीले, संतरी, बैंगनी, नीले, गुलाबी और लाल रंग के फूल समेत मौसमी फूलों जैसे- पेटुनिया, साल्विया, सिनेरेरिया, एंटिरहिनम, पोपी, वर्बेना, डायन्थस, होलीहाक, नास्टर्टियम, कोरोप्सिस, पैंसी, लियानम आदि भी जल्द ही राजधानी में प्रमुख स्थानों पर खिले दिखाई देंगे। ट्यूलिप के पौधे दिल्ली में 65 स्थानों पर लगाए जाएंगे और सर्दी में खिलने वाले अन्य फूल राजधानी के 91 स्थानों पर लगाए जाएंगे।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, गुरुवार, 11 जनवरी 2024

पुराने फ्लैट पुनर्निर्माण के लिए नीति बनाएगा डीडीए

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी में पुराने 25 से 30 वर्ष से अधिक समय में बनाए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैटों के पुनर्निर्माण की रणनीति बनाई जाएगी।

इसके लिए डीडीए के समक्ष इतने वर्ष पुराने फ्लैटों के निवासी आरडब्ल्यूए के जरिए संयुक्त रूप से पत्र लिखकर निर्माण कार्य के तहत काम सुनिश्चित कर सकेंगे। इसमें ऐसा मॉडल अपनाया जाएगा। जिससे लोगों पर फ्लैटों की खराब हो चुकी हालात पर अतिरिक्त खर्च न आए। इसके लिए डीडीए, सोसायटी व आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर बैठकें करते हुए रणनीति बनाएगा। 30 वर्ष से अधिक समय के डीडीए की ओर से निर्मित फ्लैटों के लिए यह रूपरेखा तैयार की जाएगी। मास्टर प्लान 2021 में भी पुराने फ्लैटों का पुनर्निर्माण का प्रावधान है।

साथ ही, मास्टर प्लान 2041 में इतने वर्ष पुराने फ्लैटों की वास्तविक स्थिति को बदलाव करने के लिए भी प्रावधान शामिल किया गया है। जिसके जरिए लोग पुराने फ्लैटों को फिर से नए रूप में बनवा सकेंगे। लोगों से अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) का मूल्य लिया जाएगा।

ट्यूलिप के फूलों से संसद भवन महकेगा

नई दिल्ली। संसद भवन परिषद में इस बार ट्यूलिप के फूल खिलेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लोकसभा अध्यक्ष से हुई मुलाकात के दौरान ट्यूलिप के फूलों पर चर्चा की थी। इसी क्रम में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने संसद भवन परिषद में ट्यूलिप की तीन हजार पौध उपलब्ध कराए हैं। एनडीएमसी ने तीन लाख ट्यूलिप की पौध मंगाई गई है। इसमें से एक लाख डीडीए के बांसेरा और असिता जैसे पार्कों में लगाए जाएंगे। इस बार वसंत के सीजन में पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में ट्यूलिप के फूलों की छटा बिखरेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
| THURSDAY | JANUARY 11, 2024 PAPERS

3,000 tulips to greet MPs in newly built Parliament House

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

After Rashtrapati Bhawan, blooming tulips will welcome the parliamentarians and visitors during the forthcoming Budget Session as 3,000 bulbs have been planted in the newly constructed Parliament House. According to Raj Niwas officials, Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena requested Lok Sabha Speaker Om Birla during a conversation that tulips be planted at the new Parliament Building.

The officials said the New Delhi Municipal Council (NDMC) made 3,000 bulbs available to the Parliament Secretariat. An official said the tulips are expected to be in bloom when the Parliament convenes for the upcoming Budget Session.

"The MPs and visitors alike will be welcomed by Tulips for the first time ever," he added. The NDMC had procured a record three lakh bulbs this year -- double the amount last year.

While two lakh bulbs will be adorning various sites in the NDMC area, the remaining one lakh tulip bulbs will be used by the Delhi Development Authority (DDA) to adorn its various parks across the city apart from Baansera and Asita. The official said that 500 tulip bulbs have also been planted in the Raj Niwas Campus for the first time.

Tulip flowers in yellow, white, orange, purple, blue, pink and red colour shades and other varieties of seasonal flowers like Petunia, Salvia, Cineraria, Antirrhinum, Poppy, Verbena, Dianthus, Hollyhock, Nasturtium, Coreopsis, Pansy and Lianum etc. Will be planted soon at prominent locations for full public view. While tulips will be planted in 65 locations, other winter flowers would adorn the capital at 91 locations, the officials said.

Tulips would be planted in prominent places, including the diplomatic area of Shanti Path, Talkatora Garden, Windsor Place, Central Park (Connaught Place), Mandi House, Akbar Road, Chanakyapuri, Lodhi Garden and Nehru Park and RML round.

11 जनवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

संसद भवन परिसर में ट्यूलिप बल्ब करेंगे सांसदों का स्वागत : उप राज्यपाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। संसद भवन में इस बार बजट सत्र के दौरान ट्यूलिप बल्ब सांसदों एवं आगंतुकों का स्वागत करेंगे। उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर एनडीएमसी ने नए संसद भवन परिसर में 3000 ट्यूलिप बल्ब लगाए थे और यह बजट सत्र में खिलने लगेंगे। लोकसभाध्यक्ष के साथ चर्चा के बाद उप-राज्यपाल ने संसद भवन परिसर में ट्यूलिप बल्ब लगाने का निर्देश दिया था। राजनिवास में भी पहली बार 500 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं।

उप राज्यपाल ने कहा कि पहली बार सांसद बजट सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में ट्यूलिप फूलों का लुत्फ उठाएंगे। एनडीएमसी ने बीते सालों की अपेक्षा इस बार सबसे अधिक करीब 3 लाख ट्यूलिप बल्ब मंगाए हैं। इसमें 2 लाख ट्यूलिप बल्ब एनडीएमसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। जबकि बाकी एक लाख ट्यूलिप बल्ब डीडीए के बांसेरा, असिता पार्क के अलावा अन्य पार्कों में लगाए जाएंगे। ट्यूलिप फूलों में पीले, संतरी, बैंगनी, नीले, गुलाबी और लाल रंग के फूल देखने को मिलेंगे।

millenniumpost
THURSDAY, 11 JANUARY, 2024 | NEW DELHI

Delhi's drainage system 'absolutely pathetic': HC

NEW DELHI: The drainage system in the national capital is "absolutely pathetic" and in a "very bad state of affairs", the Delhi High Court observed on Wednesday while asking authorities to wake up and act against the problem of waterlogging.

The high court also said the agencies cannot be tamed by anyone, and added that the reform has to come from within the authorities and courts cannot do everything.

"The drainage system is in a very bad state of affairs. It had totally collapsed. Do we have a drainage system in Delhi or we don't have it? It is absolutely pathetic. Look at the new areas which have been set up. The new construction gets flooded today. Who has constructed it? In today's times it gets flooded when we have so many technologies," a bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet PS Arora said while referring to an underpass near Bharat Mandapam.

The high court was hearing two suo motu petitions, initiated on its own, on the waterlogging problem in Delhi and on the issue of rainwater harvesting and easing traffic jams in the national capital during monsoon and other periods.

Giving some instances of waterlogging in the New Delhi area, Justice Manmohan said, "Some of us were complaining that during monsoon we got fishes in our drawing rooms while we were vegetarians and in one of the bungalows, a snake came in with the flow of water."

The court said sewage lines were broken at ITO, near the Delhi Zoo and the high court.

The bench said while this was the callousness of the authorities in the New Delhi area, one cannot imagine the situation in other parts of the city.

"Take it as a wake-up call and start working now itself. Don't wait for April or for the monsoon. To put it mildly, things are very, very bad and your agencies cannot be tamed by anyone. Everybody is a tiger in his own area, nobody listens to anyone or to any advice," the annoyed bench said. It further said there was no common verified plan for drainage system and added that every year during monsoon, Delhiites get to see the "famous" photograph of Minto Bridge in Central Delhi submerged in water with a bus stuck under it.

"Absolutely pathetic situation. What are you all doing? Your sweepers dump garbage into drains and then you hire a contractor to clean the drains. There are no clear instructions on what they have to do. Things are very bad," the bench said and asked the authorities to get instructions on the issue and listed the matter on January 16.

The court also asked the lawyers representing the agencies to have a "brainstorming session" with the authorities and come up with some solutions.

The Centre, Delhi government, Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, Delhi Police, Public Works Department, Delhi Jal Board, Delhi Cantonment Board, New Delhi Municipal Council and the Flood Irrigation Department are party to the petitions.

PTI

Highlights

- » Delhi HC asked authorities to wake up and act against the problem of waterlogging
- » Court said agencies cannot be tamed by anyone and that reform has to come from within the authorities and courts cannot do everything
- » Court was hearing suo motu petitions, initiated on its own, on waterlogging problem.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS---------- बृहस्पतिवार, 11 जनवरी 2024 -----DATED----------

सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई पर सेना मुख्यालय को एनजीटी का नोटिस

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली। दिल्ली के सेंट्रल रिज इलाके में सेना मुख्यालय की ओर से पेड़ों की कटाई मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और दो अन्य को नोटिस जारी किया है।

हरित पैनल एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने सेना मुख्यालय की ओर से 8.78 हेक्टेयर क्षेत्र को साफ करते समय पेड़ों की कटाई के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने रिपोर्ट पर गौर किया।

रिपोर्ट में कहा गया कि सेना ने दिल्ली वृक्ष,संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम सहित पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया। सोमवार को पारित एक आदेश में, पीठ ने कहा, समाचार सामग्री

पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे का खुलासा करती है। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और रक्षा मंत्रालय को पक्ष या प्रतिवादी बनाया गया - जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव ने किया। एनजीटी ने नोटिस जारी करने के बाद कहा कि मंत्रालय के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया है और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। अनुमति देते हुए पीठ ने अन्य दो पक्षों से भी जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। एजेंसी

एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को दोबारा पैक कर बेचने का हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

एफएसएसएआई व दिल्ली सरकार, पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को दोबारा नई तारीख से दोबारा पैक कर बेचने के कई मामले सामने आने पर स्वत: संज्ञान लिया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने सभी पक्षों को जवाब देने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दिया है।

साथ ही अधिवक्ता श्वेताश्री मजूमदार को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस मामले को न्यायिक पक्ष से निपटाने के लिए कार्यवाहक चीफ जस्टिस के पास भेजा था जिसके बाद स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की गई है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह प्रसिद्ध चॉकलेट कंपनी हर्षे के एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें कुछ ऐसे नकली चॉकलेट बनाने वालों पर लगाम लगाने की मांग की गई थी, जो हर्षे के उत्पादों की रीब्रांडिंग कर बिक्री कर रहे थे। कई मामलों में, उत्पादों को एक्सपायरी होने के बाद भी बिक्री के लिए रखा पाया गया। जस्टिस सिंह ने तब कहा था कि यह स्पष्ट है कि एक समन्वित और व्यवस्थित तंत्र है। इसलिए, उन्होंने मामले में दिल्ली पुलिस को विस्तृत जांच के भी आदेश दिए थे। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI ▶ 11 जनवरी, 2024 ED

एलजी विनय सक्सेना के मार्गदर्शन में गांवों के विकास की बनाई गई रूपरेखा...

दिल्ली के गांवों की जल्द बदलेगी सूरत, ब्लूप्रिंट तैयार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे दिल्ली के गांवों की जल्द सूरत बदलने वाली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहल पर इन गांवों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरु किये जाएंगे। एलजी के निर्देश पर लगभग 250 (200 शहरीकृत और 49 ग्रामीण) गांव शहरों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। गांवों की पारंपरागत छवि को बरकरार रखते हुए आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। राजस्व विभाग ने ग्रामीण विकास बोर्ड का 793 रुपये का फंड भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ट्रांसफर कर दिया है। खास बात यह है कि इस फंड का व्यय कैसे होगा एवं गांवों में क्या क्या कार्य कराए जाएंगे, इसका पूरा ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। एलजी ने दिसंबर माह में दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की थी। अभियान को धरातल पर उतारने, गांवों की स्थिति की जायजा लेने और ग्रामीणों की सलाह से विकास

योजनाओं को तैयार करने के लिए सभी 11 जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों का चयनित गांवों में रात्रि प्रवास शुरू हो गया है। राजनिवास के मुताबिक रात्रि प्रवास के जरिये एलजी ने सभी विभागों से ग्रामीणों के सामने आने वाली चुनौतियों सहित सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का जमीनी आंकलन करने के लिए निर्देश दिये हैं। इस प्रवास के बाद जरूरत के मुताबिक फंड के व्यय और कराए जाने वाले कार्यों में कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत खर्च होने वाले बजट के लिए लगभग 793 करोड़ रुपये तय किये गये हैं। धनराशि का वितरण ग्रामवार किया जायेगा। ग्रामवार एस्क्रो खाते खोले जाएंगे और ग्राम सभा भूमि में किए जाने वाले विकास कार्यों की पहचान समुदाय के प्रतिनिधियों व स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जाएगी। फंड का 60 प्रतिशत इस वित्तीय वर्ष में वितरित किया जाएगा जबकि शेष राशि अगले वर्षों में वितरित की जाएगी। तीन प्रतिशत प्रशासन शुल्क के लिए होगा। अभियान के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों व योजनाओं को डीडीए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। डीजीए के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को उसी वित्त वर्ष के भीतर या मंजूरी की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। एक वित्त वर्ष से अधिक के लिए कार्य की चरणबद्धता एवं वित्तीय स्वीकृति मान्य नहीं है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, डीडीए के उपाध्यक्ष को पुनर्विनियोजन के लिए अधिकृत किया गया है।

ये होंगे विकास कार्य

दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत गावों में तालाबों, जलाशयों का जीर्णोद्धार। **श्मशान घाट, पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला व ग्राम पुस्तकालय का विकास। बुनियादी ढांचागत विकास यानी जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी),** सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस), वर्षा जल संचयन आदि का उन्नयन। मौजूदा चौपालों, बारातघरों, सामुदायिक केंद्रों आदि का रखरखाव और नए का निर्माण। अन्य आवश्यकता आधारित कार्य जैसे पेयजल सुविधा बेहतर बनाना। अतिक्रमण हटाना व खसनर भूमि की सुरक्षा करना। आवश्यकता के आधार पर स्कूलों, अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन। स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था की जाएगी।